UPLK010011432013

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सत्र परीक्षण सं0 40/2013

सरकार **बनाम** रामदीन यादव आदि

अ0सं0 206/2010
धारा–323,504 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–माल, लखनऊ।

12–01–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण रामदीन यादव व राम औतार मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 504 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 29.04.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010011432013

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सत्र परीक्षण सं0 40/2013

सरकार **बनाम** रामदीन यादव आदि

अ0सं0 206/2010
धारा–323,504 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(1)10 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–माल, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण रामदीन यादव व राम औतार यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 30.06.2010 समय करीब 10.00 बजे थाना माल जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम गुमसेना पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदम रीतू को स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा द्वारा वादिनी मुकदम रीतू को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों ने अनुसूचित जाति की द्वारा वादिनी मुकदम रीतू को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)(X) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 12–01–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 12–01–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6085

शैलेन्द्र, आशुलिपिक

Digitally signed by DINESH KUMAR MISHRA
Date: 2024.01.16 14:09:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court